(48)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2016 जवलपुर निग- 3133- I 16

मेहतलाल गौंड पिता श्री इन्द्र सिह निवासी ग्राम झुलपुर डोरी, नैनपुर , जिला मण्डला म0प्र0 ।

..............आवेदक

श्री सुशील सिंह जादौन द्वारा आज दि. 14.9.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. सीमा नरूला पुत्री स्व0 श्री सी.एल. नरूला , निवासी मकान नं. 17 नया बाजार , तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

...........अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 76/अ–21/2015–2016 मे पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम चंदेरी प0ह0न0 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 12 ,14 रकवा कमशः 0.570 , 0.580 है0 कुल रकवा 1.150 है0 भूमि आवेदक की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती एवं पैतृक निवास स्थान जिला मण्डला में होने के कारण जिला जवलपुर स्थित भूमि को देखभाल नही कर पाने की दशा उक्त भूमि को विकय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती , बाजार का कर्ज चुकाने हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विकय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु

R3133-I/16 भगवपुर

20.2.18

आवेदक कमांडो श्री सुनील सिंह आ० कौन्त उप०। अनाव क्रं 1 शासन की ओर से आज कमांडो श्री कुलदीप सिंह आया। आवेदक कमांडो के निवेदन पर प्रकरण [illegible] में समाप्त किया जाता है। आज कमांडो को कोई आपत्ती नहीं। प्रकरण [illegible] निराकृत हो।

[illegible]

Kuldeep